झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

आ0 सं०–08 / ज०सं०(नि०)ल०सिं० रांची– 22 / 2012 .... / राँची, दिनांक ....

....

आदेश

श्री राघवेन्द्र चौधरी, तदेन सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, खूँटी के अन्तर्गत तोरपा प्रखण्ड के गुड़गुड़चुआँ नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण में बरती गयी अनियमितता के लिए विभागीय संकल्प सं0– 6357 दिनांक– 29.12.2015 द्वारा सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–1930 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी जिसमें निम्न आरोप प्रतिवेदित थे :–

(i) माइक्रोलिफ्ट निर्माण में बिना कार्य सम्पादन किये भुगतान करना

(ii) चेकडैम सं०–03 एवं 04 में त्रुटिपूर्ण निर्माण।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित नहीं प्रतिवेदित किया गया है। वर्णित स्थिति में सम्यक समीक्षोपरान्त श्री राघवेन्द्र चौधरी, सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, खूँटी को आरोपमुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

3. उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार को अनुमोदन प्राप्त है।

एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह०/–
(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 3034 / राँची,दिनांक 16/07/18/

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची / वित्त विभाग (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), झारखण्ड, राँची / उप सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, खूँटी / श्री राघवेन्द्र चौधरी, सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, खूँटी / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/07/18
(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव